पूर्वोत्तर क्षेत्र में आवास की समस्या

7242. श्री सत्य प्रकाश मालवीय :
श्री दिग्विजय सिंह :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आवास समस्या के मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों को पूर्ण रूप से पिछड़ा मानती है ;

(ख) यदि हां, तो वैसे कितने राज्य हैं और उन्हें किस-किस श्रेणी में रखा गया है ;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में आवास समस्या को हल करने के लिये किसी आवास एजेंसी का गठन किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार द्वारा गठित एजेंसियां अपना कार्य कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा पूर्वोत्तर राज्यों में आवास समस्या को हल करने के लिए, सरकार के पास क्या कार्यक्रम हैं और उन्हें कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) और (ख) मकानों की कमी उत्तर-पूर्वी राज्यों में गम्भीर समस्या नहीं है, तथापि, मौजूदा आश्रयों के सुधार और बुनियादी सुविधाओं के समुचित स्तर का प्रावधान एक महत्ती आवश्यकता है। दुर्गम भू-भाग, कम आबादी वाले क्षेत्रों और क्षेत्र में अपर्याप्त भौतिक अवस्थापना के कारण सामान्यत: इन राज्यों की आवास समस्या में वृद्धि होती है।

(ग) से (ङ) आवास राज्य का विषय होने के कारण शहरी और ग्रामीण आबादी की आवास आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवास एजेंसियां स्थापित करना राज्य सरकारों का दायित्व है। चूंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्तर पर आवास बोर्ड गठित किए गए हैं। शेष राज्य सरकारें अपने लोक निर्माण विभागों, शहरी विकास/नगरपालिका प्रशासन अभिकरणों तथा सहकारी समितियों आदि के माध्यम से आवास योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं।

वित्त, आवास विकास में एक प्रमुख कठिनाई है। इस क्षेत्र में इस समस्या को हुडको, कुछेक वाणिज्यिक बैंकों और राष्ट्रीय आवास बैंकों द्वारा मान्यता प्राप्त चार अन्य आवास वित्त कम्पनियों अर्थात एच०डी०एफ०सी०, एस०बी०आई०, गृह वित्त, एल०आई०सी० आवास वित्त और पियरलेस आवासन वित्त द्वारा हल करने के प्रयास किए गए हैं। ये अभिकरण आवास विकास कार्यकलापों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक से पुनर्वित्त सुविधा पाने के पात्र हैं।

क्षेत्र में आवास कार्यकलापों में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए हुडको ने निम्नलिखित विशेष कदम उठाए हैं :–

(क) हुडको गरीब वर्गों और निम्न आय वर्गों की श्रेणियों के लिए अधिकतम लागत सीमा में 25% वृद्धि की अनुमति प्रदान करता है।

(ख) हुडको ऋण के कागजात तैयार करने की समय-सीमा में वृद्धि की गई है।

(ग) हुडको को 5% निधियां उत्तरी-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए आरक्षित की गयी हैं।

(घ) हुडको तकनीकी विस्तार और कौशल सुधार के लिए निर्मिति केन्द्र गठित करने की प्रक्रिया को तेज करने हेतु राज्य सरकारों को प्रेरित कर रहा है।

केन्द्र सरकार और हुडको और अनुसंधान अध्ययनों के लिए धन प्रदान

कर राज्य सरकारों को आवास सम्बन्धी कार्य योजनाएं तैयार करने में मदद कर रहा है।

शहरी विकास मंत्रालय की एक इकाई बी०एम०टी०पी०सी० ने उत्तर-पूर्वी पांच राज्यों के लिए उपयुक्त तकनीकी विकल्पों का एक विस्तृत सर्वेक्षण किया है और आवास के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप हेतु तीक्ष्ण कार्य-योजना बनाई है।

योजना आयोग द्वारा गठित कार्य-दल ने हाल ही में उत्तर-पूर्वी राज्यों में आवास स्थिति का अध्ययन किया है और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित विशेष भू-स्वामित्व प्रणाली के अनुरूप समुचित आवास विकास नीति की सिफारिश की है।

CPWD enquiry Office, South Avenue

7243. SHRI V. RAJESHWAR RAO:

DR. SHRIKANT RAM-CHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the CPWD Enquiry Office in South Avenue does not properly attend to complaints of Members of Parliament;

(b) whether it is also a fact that whenever the complaints are attended to they are just nominal and for name's sake and not utility oriented;

(c) what steps Government propose to take to check the large scale wastage of Government money by the said Office; and

(d) what action is being contemplated by Government against the earing staff?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir. The complaints received from the Members of Parliament are being attended to promptly.

(b) No such case has come to the notice of the Department.

(c) Regular monitoring is done in the CPWD to ensure that all complaints received from the MPs are attended to promptly.

(d) Does not arise in view of the position given above.

Supply of unfiltered water

7244. SHRI T. VENKATRAM REDDY:

DR. SHRIKANT RAM-CHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that untreated water flowing from the sewages to the Yamuna is directly supplied to Government C.P.W.D. bunglows for gardening purposes;

(b) whether it is also a fact that this has led to mosquito menace which has given rise to increased incidence of malaria; and

(c) what is being done to control this unhygenic activity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) The raw water as available in river Yamuna is directly supplied for irrigation and horticulture purposes without any treatment.

(b) No such case has come to the notice.

(c) Not applicable in view of the reply to (b) above.